

**536**  
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 11/2025**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 1075/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**NARENDRA KUSHWAHA**

**APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS**

**RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Pages</b>
<b>1.</b>	Compliance Affidavit On Behalf Of Respondent No.-5 District Magistrate, Jhansi along With Affidavit.	1-4
<b>2.</b>	<b>Annexure No.-P/1:</b> True copy of the record of compensation.	5-8
<b>3.</b>	Annexure No.-P/2 (Colly.): True copy of the cognizance letters and FIR filed.	9-19
<b>4.</b>	<b>Annexure No.-P/3 (Colly):</b> True copy of the compliance directions passed and environmental compensation assessment performed.	20-41
<b>5.</b>	<b>Annexure No.-P/4:</b> True copy of the reply sent regarding compliance done in response to the Objection filed by dated 15.09.2025.	42-44
<b>6.</b>	<b>Annexure No.-P/5:</b> True copy of the compliance completed.	45-49

**Date: 13/03/2026**

**THROUGH**

**Place: New Delhi**

*Priyanka Swami*  
**Priyanka Swami**  
**Advocate**  
**Standing Counsel For State Of**  
**U.P**  
**F-13, Jangpura, New Delhi**  
**110014**

537  
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 11/2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO.1075/2024

**IN THE MATTER OF:**

**NARENDRA KUSHWAHA**

**APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS**

**RESPONDENTS**

**COMPLAINCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No.5-DISTRICT MAGISTRATE, JHANSI WITH AFFIDAVIT**

1. That I, Arun Kumar gond, aged about 38 years S/o Sri Ram Chandra gond is presently posted as ADM (J), District Jhansi, having office at Collectorate Jhansi, do hereby solemnly affirm and most respectfully submit the following compliance affidavit.
2. That the present affidavit is being filed by the DM Jhansi by ADM, in faithful compliance with the directions issued by the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench) vide Order dated 18.09.2025 and Order dated 16.12.2025 passed in the instant matter.
3. That in furtherance to the said order, Meeting of Members of Committee was held on 17.11.2025 and further action was directed for compliance with the order.
4. That in compliance with the above order, the Divisional Forest Officer imposed penalty for illegal felling of the tree under Section 4/10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and the same was

recovered the same as per the rules. **True copy of the record of**

**compensation is attached herewith and annexed as**

**ANNEXURE No.-P1.**



\_\_\_\_\_

5. It is also pertinent to note that as per order dated 31.08.2025, Divisional Forest Officer also took action against the illegal felling of Peepal tree in Prem Nagar police station area under Jhansi district under Section 9/51 (1) of the Wildlife Protection Act 1972 and Section 7/55 (2) of the Biodiversity Act 2002 and Section 69, 41, 42 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 by filing an FIR dated 01.09.2025. Departmental action was also taken by registering a forestry offence against the concerned persons under Section 4/10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, and by filing H-2 Case No. 07/2025-26. **True copy of the cognizance letters issued and FIR filed is attached herewith and annexed as ANNEXURE No.-P2.**(Colly.)

6. That, the compensation awarded by Hon'ble National Green Tribunal and the order dated 04.08.2025 passed by Hon'ble High Court of Allahabad in Writ Civil Appeal No. 757-760/2013 Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Company Ltd., the compliance of the same is possible by imposing environmental compensation by UP Pollution Control Board only after framing rules and regulations for imposing environmental compensation against the guilty commercial institutions etc. and informing the Hon'ble Supreme Court. That in this regard, UP Pollution Control Board has obtained the list of trees mentioned in the said case from the Forest Department, Jhansi and has sent the estimate of environmental compensation along with it. **True copy of the compliance directions passed and environmental compensation**



assessment done is attached <sup>539</sup> herewith and annexed as **ANNEXURE No.- P3 (Colly)**.

7. That, in compliance with the instructions issued by the Hon'ble National Green Tribunal, the Divisional Forest Officer has directed the plaintiff to provide a complete list of concrete trees. Since the plaintiff has not submitted complete information, a reminder has been sent to the plaintiff through letter number 1282/10-1 (KOK) Jhansi, dated 16.10.2025 from the Divisional Forest Officer, Jhansi Forest Division, Jhansi and upon receiving the list of concrete trees from the plaintiff, all departments will take appropriate action to deconcretize the concrete trees in their respective areas: **True copy of direction sent and reminder sent to Plaintiff is attached herewith and annexed as ANNEXURE No.- P4.**

8. That, it is also submitted that The Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi informed that the process of de-concreting the concreted trees mentioned in the objection dated 15.09.2025 filed by the plaintiff in the Hon'ble National Green Tribunal from pages 120 to 123 along with GPS photographs has already been completed. The same is shown in the list of de-concreted trees sent in the compliance report of the Joint Committee dated 26.05.2025. That the trees mentioned in the said pages have already been de-concreted, about which the plaintiff has been informed through email and registered post by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi vide letter number 113/PA/NO.A./NN.I./2025-26 dated 01.12.2025. **True copy of the reply sent regarding**

**compliance done in response to the Objection filed dated**



*[Handwritten signature]*

15.09.2025 is attached herewith and annexed as ANNEXURE

No.- P5.

9. That in view of the above submissions, it is respectfully submitted that District Magistrate, Jhansi has diligently complied with the Hon'ble Tribunal's order dated 18.09.2025 and has taken all feasible and time-bound measures.

10. That the facts stated hereinabove are based upon official records, documents available in the office, and observations made during the site inspection conducted on 16.02.2026, and the same are being respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal for appropriate consideration and further necessary orders as may be deemed fit in the interest of justice and environmental compliance.

DEPONENT


Date 11.03.2026

**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at 'Jhansi' on this...13...day of...March...2026, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Serial No. 634 Date 13.3.26  
Certified that the foregoing statement  
sworn before me this day at Jhansi  
by shri/smt./kum. Azim Khanwar Sonu  
whom the contents of this affidavit have  
been read over and explained and who  
is identified by shri. Smit  
Received the legal fee Rs. 35/-

DEPONENT



Keshav Singh Narvaria  
Advocate  
Notary Dist. Jhansi (U.P.)  
13.3.2026


THROUGH  
Respondent No.-5 District Magistrate, Jhansi



Government of Uttar Pradesh


IN-UP54214908933960Y

e-Stamp




Certificate No. : IN-UP54214908933960Y  
 Certificate Issued Date : 13-Mar-2026 05:40 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14278204/ JHANSI SADAR/UP-JHS  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1427820403755334912434Y  
 Purchased by : ARUN KUMAR GOND SO RAM CHANDRA  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ARUN KUMAR GOND SO RAM CHANDRA  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ARUN KUMAR GOND SO RAM CHANDRA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line



P.T.O.

Statutory Alert.

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.thee-stamp.com](http://www.thee-stamp.com) or using e-Stamp Mobile App of State Treasury. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Discovered the same as per the rules True copy of the

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग झाँसी

पत्रांक - 1341 / 10-1 (को0के0)

दिनांक 25/10/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ई0ए0 नं0 11/2025 के ओ0ए0 नं0 1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ई0ए0 नं0 11/2025 के ओ0ए0 नं0 1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

*" 8. Perusal of the report of the Joint Committee also reveals that only the meagre penalty for illegal felling of trees has been imposed. Though the Learned Counsel for Municipal Corporation, Jhansi has referred to the Uttar Pradesh Protection of Tree Act, 1976 but could not point out that the penalty has been levied upon the violators responsible for illegal felling of the trees in consonance of the provisions of the Act. Hence, we require the Joint Committee to revisit the issue of levy of penalty and to ascertain the Environmental Compensation amount in proportion to damage caused to the environment on account of the illegal felling of the trees. "*

उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा- 4/10 के क्रम में इजरा करने हेतु व्यवस्था निम्नवत् है:-

**2. This Act shall not apply to-** (a) trees situate in reserved and protected forests; (b) trees situate in a forest or forest land in respect of which any notification under the Indian Forest Act, 1927 as amended in its application to Uttar Pradesh is in force; 4[(c) trees situate in cantonment area;]

4. Except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall-

(a) fell any tree standing on any land, whether included in a holding or not;

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

(b) cut, remove or otherwise dispose of any tree other than a tree which is completely dead and has fallen without the aid of human agency on any such land.

10. Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Ten thousand rupees or with both.

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-4230/10-1, दिनांक 08.05.2025(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार 34 वृक्षों का कुल रूपये 90,000/- अर्थदण्ड उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम - 1976 की धारा- 4/10 के अनुसार ही वसूल किया गया।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

*na*  
प्रभागीय वन अधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

पृष्ठांकन संख्या 1341 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।

2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

*na*  
प्रभागीय वन अधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

*na*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 4230 /10-1, दिनांक, झांसी, 8/5/ 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
झांसी।

विषय:- ओ0ए0 संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन में आख्या।  
संदर्भ:- जिलाधिकारी, झांसी का पत्रांक-34/एसटी-एनजीटी/2024-25, दिनांक 21.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के कार्यालय पत्रांक-517/26-16, दिनांक 09.04.2025 एवं पत्रांक-557/26-1, दिनांक 28.04.2025 द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी झांसी के पत्रांक 905/10-1 दिनांक 02.05.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है-

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 के अनुसार संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन कराया गया था व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरूआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी, जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-प्रति संलग्न है।

क्र0सं0	प्रजाति	गोलाई (मी0 में)	व्यास श्रेणी
1	केसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6
7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक

8	गोल्ड मोहर	1.20	3-4
9	चिरौल	0.95	3-4
10	चिरौल	1.20	3-4
11	चिरौल	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/26-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की जांच आख्या व उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 4230 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी।
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक- /10-1(को0के0), दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 03 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
झांसी।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ई0ए0 नं0-11/2025 के ओ0ए0नं0-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विषयक वाद में वादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा दिनांक 15.09.2025 को संयुक्त समिति की आख्या के क्रम में "जनपद झांसी के अन्तर्गत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में पीपल के पेड़ का अवैध कटान से कई पक्षी व उनके प्राकृतवास/घोसले आदि नष्ट होने के सम्बन्ध में आपत्ति दाखिल की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के पत्रांक-124/23-1, दिनांक 10.09.2025 के अनुसार दिनांक 31.08.2025 को समय लगभग पूर्वान्ह 11:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला हाता प्यारे लाल, मंगल डेयरी के सामने, नगरा, झांसी में दिनेश अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल, महेन्द्र अग्रवाल पुत्र राधेश्याम, विकास अग्रवाल पुत्र वेद प्रकाश व अन्य लोगों द्वारा दिनेश अग्रवाल के मकान के बगल में खड़े प्रतिबन्धित प्राजति के पीपल की शाखाओं को काट दिया है, जिससे कई पक्षी घायल हो गये हैं। घटना स्थल के निरीक्षण में पाया कि उक्त कटे हुए वृक्ष पर कई पक्षियों के घोसले थे और उक्त वृक्ष को काटने के कारण मौके पर 15 पक्षी मृत अवस्था में बरामद हुए तथा कई घोसले व अण्डे नष्ट हो गये हैं।

विषयक प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51 (1) तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7/55(2) एवं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 69, 41, 42 व उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का अपराध कारित करने पर अभियुक्तों के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत करते हुए एच-2 केस संख्या-07/2025-26 इजरा कर विभागीय कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। एच-2 केस एवं एफ0आई0आर0 रिपोर्ट की प्रति महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में अपेक्षित विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार की जा रही है।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 10/8 TC /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, झांसी नगर-निगम, झांसी को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

## कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी

पत्रांक— 124 /23-1, दिनांक, झांसी, सितम्बर, 09 - 2025  
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी।

विषय :- पक्षियों व घोंसलों को नष्ट करने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2025 को समय लगभग पूर्वान्ह 11:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला हाता प्यारे लाल, मंगल डेयरी के सामने, नगरा, झांसी में दिनेश अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल, महेन्द्र अग्रवाल पुत्र राधेश्याम, विकास अग्रवाल पुत्र वेद प्रकाश व अन्य लोगों द्वारा दिनेश अग्रवाल के मकान के बगल में खड़े प्रतिबन्धित प्राजति के पीपल के वृक्ष को अवैध रूप से शाखाओं को काट दिया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण में पाया कि उक्त कटे हुए वृक्ष पर कई पक्षियों के घोंसले थे और उक्त वृक्ष को काटने के कारण मौके पर 15 पक्षी मृत अवस्था में बरामद हुए तथा कई घोंसले व अण्डे नष्ट हो गये हैं। मौके पर घायल पक्षियों का पशु चिकित्सक से इलाज कराकर पहुँच नदी (सिमरधा डैम) के पास उनके प्राकृतवास में सुरक्षित छोड़ा दिया गया है तथा मौके पर बरामद लगभग 15 मृत पक्षियों का पशुचिकित्सक से पोस्टमार्टम कराने के उपरान्त पक्षियों के शवों को आयुक्त पौधशाला में दफना दिया गया है। प्राकृतवास में छोड़े गये पक्षियों की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमित रूप से भ्रमण हेतु टीम गठित कर नजर रखी जा रही हैं।

विषयक प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51 (1) तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7/55(2) एवं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 69, 41, 42 व उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का अपराध कारित करने पर अभियुक्तों के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत करते हुए एच-2 केस संख्या-07/2025-26 इजरा कर विभागीय कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। एच-2 केस एवं एफ0आई0आर0 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में अपेक्षित विभागीय कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

अतः महोदय की सेवा में रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वन विभाग

झाँसी

परिधि (सर्किल)

झाँसी

खण्ड (डिवीजन)

झाँसी

31.08.25 - 1924 धारा - 69, 41, 42  
वन अपराध अधिनियम 1972 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०  
धारा - 3, 5(A) जैव विविधता अधिनियम - 2002 धारा - 7, 55(2)  
सं० 50 प्र० युक्त सं० 120  
उत्तर प्रदेश अधिनियम - 1976 धारा 4/10

दिनांक 31/08/2025 अधिवेशन (रिज)

पेज नं० 5/180

1-नाम, पिता का नाम और निवात स्थान दिनेश कुमार शर्मा जी गोलीवाल, बंदा-प्र अग्रवाल जी  
राहीश्याम अग्रवाल नि० हाल धारैवाल गंगल डेरी के सामने नगर  
थाना प्रेमनगर झाँसी व पॉच अन्य अदालत अभियुक्त ।

2-साक्षी का नाम स्वयं, श्री सतीश चन्द्र उ०शे० ए०शे०, श्री प्रद्युम्न सिंह व०द०  
श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास व०र० ।

3-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि० 31/08/2025 को समय लगभग 11 बजे पूर्वाह्न  
सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचा पीपल की डल्लों का पूर्ण रूप से कटान एवं  
वृक्ष में पक्षियों द्वारा बरबे गये डोंसले एवं अड्डों को नष्ट करना ।

4-मूल्य

प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी

वन अपराध की प्रतिक रिपोर्ट  
अपनाई, धारैवाल

5-यातान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन)  
के सन्बन्ध से विशेष कवन

जाँच जारी है ।

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झाँसी

महोदय,

दिनांक 31/08/2025 को समय 11 बजे पूर्वाह्न को सूचना प्राप्त  
है कि हाल धारैवाल गंगल डेरी के सामने नगर थाना प्रेमनगर झाँसी में उक्त अभियुक्तों  
1-प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण के मकान के बगल में खड़े पीपल के वृक्ष का उच्छेद कटान किया  
जादि का उल्लेख गया। तत्काल उक्त हमराहों के साथ मौके पर पहुंचे देखा कि पीपल के वृक्ष की  
शाखाओं को आरा द्वारा काटा गया है तथा शाखाओं के नीचे पीपल पर वास करने वाले पक्षियों  
के डोंसले व अड्डे शाखाओं से दबकर गिर गये, मौके पर 15 अदद पक्षी मृत पाये गये ।  
मृत पक्षियों को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु पशु चिकित्सालय भेजा गया विस्मि 11 अल कोका,  
2 ब्लैक ईग्रेड, 2 बगुला सांकेद (कुल 15 पक्षी) तथा जीवित कुल (120 पक्षी) जिसमें 80 अल कुर्गी,  
30 बगुला, 18 ब्लैक ईग्रेड, 2 बंगली उल्ल के बच्चों को उनके प्राकृतवास में सुरक्षित देह दिया  
गया, मौके पर पीपल के वृक्ष के प्रकाष्ठ की फटे बरामदगी तैयार की गई। उक्त अभियुक्तों द्वारा  
कन्य अधिनियम सं० 1972 की धारा 3, 5(A), जैव विविधता अधिनियम - 2002 की धारा 7, 55(2)  
भारतीय वन अधिनियम - 1924 की धारा 69, 41, 42 एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम - 1976 की  
धारा 4/10 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया।

अत्र रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में सूचना प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

मोह  
(मनोष श्रीवास)  
व०र०

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): झाँसी

P.S. (थाना): प्रेमनगर

Year (वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0278

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 01/09/2025 16:33

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	9
2	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	51(1)
3	जैविक विविधता अधिनियम 2002	7
4	जैविक विविधता अधिनियम 2002	55
5	भारतीय वन अधिनियम, 1927	69
6	भारतीय वन अधिनियम, 1927	41
7	भारतीय वन अधिनियम, 1927	42

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day रविवार  
(दिन):

Date From 31/08/2025  
(दिनांक से):

Date To 31/08/2025  
(दिनांक तक):

Time Period पहर 4  
(समय अवधि):

Time From 11:00 बजे  
(समय से):

Time To 11:00  
(समय तक): बजे

प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date 01/09/2025 Time (समय): 16:33 बजे  
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 061 Date & Time 01/09/2025 16:33 बजे  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. Beat No.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 01 किमी (बीट सं.):  
(b) Address मोहल्ला हाता प्यारे लाल, मंगल डेयरी के सामने नगरा  
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

- (a) Name (नाम): श्री मनोज श्रीवास-वनरक्षक झाँसी रेंज  
 (b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 हरजू श्रीवास  
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990  
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत  
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):  
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):  
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):  
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

**(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

**(h) Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	वनरक्षक झाँसी रेंज तहसील के, पीछे झाँसी, पुरानी तहसील, नवाबाद, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	वनरक्षक झाँसी रेंज तहसील के, पीछे झाँसी, पुरानी तहसील, नवाबाद, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8707658042

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	दिनेश अग्रवाल		पिता का नाम : मोतीलाल अग्रवाल	1. अटम तहरीर, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	महेन्द्र अग्रवाल		पिता का नाम : राधेश्याम	1. अटम तहरीर, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत
3	अन्य लोग नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रेम नगर, जनपद झाँसी। विषय:-प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2025 को समय लगभग पूर्वान्ह 11:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला हाता प्यारे लाल, मंगल डेयरी के सामने, नगरा, झाँसी में दिनेश अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल, महेन्द्र अग्रवाल पुत्र राधेश्याम व अन्य लोगों द्वारा दिनेश अग्रवाल के मकान के बगल में खड़े प्रतिबन्धित प्राजति के पीपल के वृक्ष को अवैध रूप से शाखाओं को काट दिया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण में पाया कि उक्त कटे हुए वृक्ष पर कई पक्षियों के घोसले थे और उक्त वृक्ष को काटने के कारण मौके पर 15 पक्षी मृत अवस्था में बरामद हुए तथा कई घोसले व अण्डे नष्ट हो गये है। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51 (1) तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7/55(2) एवं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 69, 41, 42 व उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का अपराध कारित किया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। SD अपठनीय अग्रेजी भवदीय ( मनोज श्रीवास ) वनरक्षक, झाँसी रेंज ( झाँसी वन प्रभाग, झाँसी ) पुत्र स्व० श्री हरजू श्रीवास निवासी पुरानी तहसील

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)**  
**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

झाँसी के पीछे झाँसी। अस्थाई पता पुरानी तहसील रेंज परिसर झाँसी ( उ0प्र0 ) मो0नं0-8707658042 महोदय प्रार्थना पत्र मूल में इस आसय से प्रेषित कि उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। SD अपठनीय अग्रेजी क्षेत्रीय वनाधिकारी झाँसी नोट:-टाईप शुदा प्रार्थना पत्र की नकल मुझ का0मू0 938 अवधेश कुमार के द्वारा अक्षरशः टाईप की गयी।

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or  
(या)
- (2) Directed (Name of I.O.) HIMANSHU Rank SI (Sub-Inspector)  
(जांच अधिकारी का नाम): SRIVASTAVA (पद):

No. 182394124 to take up the Investigation  
( सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. District  
(थाना): (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.**  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

**R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the  
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Ravi Srivastav

Rank I (Inspector)

No. 012410819

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झौंसी वन प्रभाग, झौंसी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**Attachment to item 7 of First Information Report**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:**

(If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट )	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह )
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

3	अज्ञात					
---	--------	--	--	--	--	--

7

प्रभागीय वनाधिकारी  
झौंसी वन प्रभाग, झौंसी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान )	Leucoder ma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव )	Tattoo (गूदे हुए का )	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

*na.*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी



Phn no: 0510 2320473 (0)  
E mail: uphpc@uppollpcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं०

Ref. No.

490/CA-1075/25

दिनांक 27.11.2025

Date.....20

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय,  
जनपद-झांसी।

विषय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सिविल संख्या-4816/2024 में पारित आदेश दिनांक-17.07.2025, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-757-760/2013 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाम लोधी प्रॉपर्टी कम्पनी लिमिटेड में पारित आदेश दिनांक-04.08.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा दोगी उद्योगों/संस्थाओं आदि के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु रूल्स एवं रेगुलेशन को फ्रेम कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय  
Madhavi Digitally signed  
by Madhavi  
Kamalva Kamalvanshi  
Date: 2025.11.27  
12:51:34 +05'30'  
nshi  
(डॉ० माधवी कमलवंशी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
अतिरिक्त प्रभार

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 1 अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
- 2 प्रभागीय बनाधिकारी, वानिकी प्रभाग, झांसी।
- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अभिनर्शी

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झांसी



क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० .....  
Ref. No. .... 505/OA-1075/25

दिनांक 11.12.20 25  
Date.....20

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, झाँसी।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन में अवैध वृक्षों के पालन के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन किये जाने के सम्बन्ध में :-

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“.....8. Perusal of the report of the Joint Committee also reveals that only the meagre penalty for illegal felling of trees has been imposed. Though the Learned Counsel for Municipal Corporation, Jhansi has referred to the Uttar Pradesh Protection of Tree Act, 1976 but could not point out that the penalty has been levied upon the violators responsible for illegal felling of the trees in consonance of the provisions of the Act. Hence, we require the Joint Committee to revisit the issue of levy of penalty and to ascertain the Environmental Compensation amount in proportion to damage caused to the environment on account of the illegal felling of the trees.....”

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रकरण में अवैध रूप से काटे गये पेड़ों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अवैध रूप से काटे गये पेड़ों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन की कार्यालय की आख्या मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(इमरान अली)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झाँसी

संदर्भ : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन में अवैध वृक्षों के पातन के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन किये जाने के सम्बन्ध में :-

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“.....8. Perusal of the report of the Joint Committee also reveals that only the meagre penalty for illegal felling of trees has been imposed. Though the Learned Counsel for Municipal Corporation, Jhansi has referred to the Uttar Pradesh Protection of Tree Act, 1976 but could not point out that the penalty has been levied upon the violators responsible for illegal felling of the trees in consonance of the provisions of the Act. Hence, we require the Joint Committee to revisit the issue of levy of penalty and to ascertain the Environmental Compensation amount in proportion to damage caused to the environment on account of the illegal felling of the trees.....”

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रकरण में अवैध रूप से काटे गये पेड़ों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अवगत कराना है कि 112 वी बोर्ड सदस्यों की बैठक दिनांक-17.01.2025 को आयोजित की गयी, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय अधिकरण में ओ0ए0 सख्या-147/2024 Hardeep Sharma Vs. Ramesh Chand Arya & Ors. With O.A. No. 614/2022 Rasesh B Vissanji & Ors. State of Uttarakhand & Ors. में प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये अर्न्तविभागीय समिति द्वारा वृक्षों के अवैध कटाई के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित सूत्र को अनुमोदित किया गया है, जोकि निम्नवत् है:-

**Environment Compensation = [Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor]- Royalty Value.**

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन में अवैध वृक्षों के पातन के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु कार्यालय के पत्रांक-496/ओ0ए0-1075/25, दिनांक-08.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को वांछित सूचनाएँ प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी द्वारा प्रकरण में अवैध वृक्षों के पातन की वांछिनीय सूचनायें पत्रांक-1877/10-1, दि0-10.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। प्राप्त सूचनाओं में कोस्ट फैक्टर का उल्लेख न किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन में रू0 180.00 को लिया गया है।

1. प्राप्त सूचना के अनुसार ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र श्री मनमोहन सिंह, निवासी-बरई, थाना-बरुआसागर, जनपद-झांसी द्वारा 18 पेड़ों का अवैध कटान किया गया। उक्त के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नवत् है:-

S. No	Trunk Area of Tree (cm <sup>2</sup> )	Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost) Rs.	Species Factor	Condition Factor	Location Factor	Royalty Value (Rs.)	Environmental Compesation (Rs.)
1	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
2	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
3	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
4	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
5	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
6	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
7	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
8	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
9	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
10	706.35	180.00	0.50	0.50	0.85	97	26940.01
11	2375.83	180.00	0.50	0.50	0.85	232	90643.50
12	2375.83	180.00	0.50	0.50	0.85	232	90643.50
13	2375.83	180.00	0.50	0.50	0.85	232	90643.50

क्रमशः 2/-पर.....

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झांसी

(2)

14	2375.83	180.00	0.50	0.50	0.85	232	90643.50
15	2375.83	180.00	0.50	0.50	0.85	232	90643.50
16	5674.50	180.00	0.50	0.50	0.85	463	216586.63
17	5674.50	180.00	0.50	0.50	0.85	463	216586.63
18	5674.50	180.00	0.50	0.50	0.85	463	216586.63
कुल योग							1372377.49

2. प्राप्त सूचना के अनुसार ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, निवासी-गणेश बाजार, झांसी, जनपद-झांसी द्वारा 15 पेड़ों का अवैध कटान किया गया। उक्त के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नवत् है:-


S. No	Trunk Area of Tree (cm <sup>2</sup> )	Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost) Rs.	Species Factor	Condition Factor	Location Factor	Royalty Value (Rs.)	Environmental Compensation (Rs.)
1	7853.98	180.00	0.50	0.50	0.85	772.00	299642.74
2	41547.56	180.00	0.50	0.50	0.85	4825.00	1584369.17
3	37994.00	180.00	0.50	0.50	0.85	4825.00	1448445.50
4	51044.63	180.00	0.50	0.50	0.85	4825.00	1947632.10
5	22686.50	180.00	0.60	0.50	0.85	2702.00	1038608.35
6	24040.63	180.00	0.60	0.50	0.85	2702.00	1100762.92
7	45216.00	180.00	0.60	0.50	0.85	4825.00	2070589.40
8	11304.00	180.00	0.50	0.50	0.85	772.00	431606.00
9	7084.63	180.00	0.50	0.50	0.85	772.00	270215.10
10	11304.00	180.00	0.50	0.50	0.85	772.00	431606.00
11	7850.00	180.00	0.50	0.50	0.85	772.00	299490.50
12	34618.50	180.00	0.60	0.50	0.85	17370.00	1571619.15
13	11304.00	180.00	0.60	0.50	0.85	2895.00	515958.60
14	15386.00	180.00	0.60	0.50	0.85	8492.00	697725.40
15	31400.00	180.00	0.60	0.50	0.85	17370.00	1423890.00
कुल योग							15132160.92

3. प्राप्त सूचना के अनुसार ठेकेदार श्री राजेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी-बरई, थाना-बरूआसागर, जिला-झांसी द्वारा 01 पेड़ का अवैध कटान किया गया। उक्त के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नवत् है:-


S. No	Trunk Area of Tree (cm <sup>2</sup> )	Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost) Rs.	Species Factor	Condition Factor	Location Factor	Royalty Value (Rs.)	Environmental Compensation (Rs.)
1	5671.63	180.00	0.50	0.50	0.85	463.00	216476.85

अतः उपरोक्त गणना के अनुसार ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र श्री मनमोहन सिंह, निवासी-बरई, थाना-बरूआसागर, जनपद-झांसी द्वारा 18 पेड़ों का अवैध कटान किये जाने, ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, निवासी-गणेश बाजार, झांसी, जनपद-झांसी द्वारा 15 पेड़ों का अवैध कटान किये जाने एवं ठेकेदार श्री राजेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी-बरई, थाना-बरूआसागर, जिला-झांसी द्वारा एक पेड़ का अवैध कटान किये जाने पर क्रमशः रू० 13,72,377.49, (तेरह लाख बाहत्तर हजार तीन सौ सत्तर रुपये उन्नचास पैसे मात्र) रू० 1,51,32,160.92 (एक करोड़ इक्यावन लाख बत्तीस हजार एक सौ साठ रुपये बानवे पैसे मात्र) एवं रू० 2,16,476.85 (दो लाख सोलह हजार चार सौ साठ छियत्तर रुपये पिच्चयासी पैसे मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
 11/12/25  
 (अनिल कुमार शर्मा)  
 वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 झांसी



क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० ..... 496/OA-1075/25  
Ref. No. ....

दिनांक 09.12.2025  
Date.....20

सेवा में,

अति महत्वपूर्ण / मा० एन०जी०टी० प्रकरण

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.-11/2025 In Original Application No.-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.09.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....8. Perusal of the report of the Joint Committee also reveals that only the meagre penalty for illegal felling of trees has been imposed. Though the Learned Counsel for Municipal Corporation, Jhansi has referred to the Uttar Pradesh Protection of Tree Act, 1976 but could not point out that the penalty has been levied upon the violators responsible for illegal felling of the trees in consonance of the provisions of the Act. Hence, we require the Joint Committee to revisit the issue of levy of penalty and to ascertain the Environmental Compensation amount in proportion to damage caused to the environment on account of the illegal felling of the trees....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रकरण में अवैध रूप से काटे गये पेड़ों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अवगत कराना है कि अवैध रूप से काटे गये पेड़ों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें वांछनीय हैं :-

1. Diameter of tree in centimeter.
2. Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance cost).
3. Species.
4. Condition Factor :-
  - a) Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid Excellent vigor with formed canopy.
  - b) Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy.
  - c) Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore.
5. Location Factor :-
  - a) Tree located in wild life sanctuaries. national parks, conservation Reservem RF/PF, Eco sensitive Zone. Van panchayat.
  - b) Tree located in Nagar Nigam Area
  - c) Tree located in Nagar palika Area.
  - d) Tree Located Nagar Panchayat Area.
  - e) Location in rural landscapes. Higher score to be given to tress based on their proximity to commercial areas.
6. Royalty Value.

क्रमशः 2/-पर.....

(02)

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के सापेक्ष प्रत्येक काटे गये वृक्ष से सम्बन्धित सूचनाएँ इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करे। ताकि ससमय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किया जाना सम्भव हो सके। प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.12.2025 नियत है। अतः आपका विशेषाध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

  
(इमरान अली)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
%e

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
%e

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झांसी

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1877 /10-1, दिनांक, झांसी, 10/12/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
झांसी।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-11/2025 In Original Application No-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ :- आपका पत्रांक-496/OA-1075/25, दिनांक 08.12.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के कार्यालय पत्रांक-274/10-1, दिनांक 10.12.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आख्या निम्नवत् है:-

(1)-श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। जांच दौरान भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-16/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा करने के उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरूआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु० दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। उक्त 18 पेड़ों का विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	Diameter of tree in centimeter	Cost Factor (Saping Cost+Mainten ance cost).	Species	Condition Factor	Lacation Factor	Royalty Value.
1	30	-	सूबबूल	Major (more than 50%) Damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore.	नगर निगम क्षेत्र	97
2	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
3	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
4	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
5	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
6	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
7	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
8	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
9	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
10	30	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
11	55	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	97
12	55	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	232
13	55	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	232
14	55	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	232
15	55	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	232
16	85	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	232
17	85	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	463
18	85	-	सूबबूल	"	नगर निगम क्षेत्र	463
कुल योग						3519

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झांसी

(2)-नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी शिकायत की जांच में निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

S. No.	Diameter of tree in centimeter	Cost (Sapling Cost+ Maintenance cost).	Factor	Species	Condition Factor	Lacation Factor	Royalty Value.
1	100	--		केसिया सेमिया	Major (more than 50%) Damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore.	नगर निगम क्षेत्र	772
2	230	--		बकायन	--	नगर निगम क्षेत्र	4825
3	220	--		बकायन	--	नगर निगम क्षेत्र	4825
4	255	--		बकायन	--	नगर निगम क्षेत्र	4825
5	170	--		अर्जुन	--	नगर निगम क्षेत्र	2702
6	175	--		अर्जुन	--	नगर निगम क्षेत्र	2702
7	240	--		अर्जुन	--	नगर निगम क्षेत्र	4825
8	120	--		गोल्ड मोहर	--	नगर निगम क्षेत्र	772
9	95	--		चिरोल	--	नगर निगम क्षेत्र	772
10	120	--		चिरोल	--	नगर निगम क्षेत्र	772
11	100	--		चिरोल	--	नगर निगम क्षेत्र	772
12	210	--		सिरस	--	नगर निगम क्षेत्र	17370
13	120	--		सिरस	--	नगर निगम क्षेत्र	2895
14	140	--		सिरस	--	नगर निगम क्षेत्र	8492
15	200	--		सिरस	--	नगर निगम क्षेत्र	17370
						कुल योग	74191

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/28-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

(3)-मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। जांच दौरान वास्तविक अभियुक्त से प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी। उक्त वृक्ष का विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	Diameter of tree in centimeter	Cost (Sapling Cost+ Maintenance cost).	Factor	Species	Condition Factor	Lacation Factor	Royalty Value.
1	85	--		रेंवजा	Major (more than 50%) Damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore.	नगर निगम क्षेत्र	463

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की रिपोर्ट के आधार पर आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन कार्यालय, झांसी



# वन विभाग, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ० प्र०

566

उप प्रभारी वनाधिकारी

पुस्तक सं०, बु. वृत्त

झरानीपुर

श्री

वन प्रभाग

पृष्ठ सं०

दिनांक 49  
9-7-24

श्री श्री प्रो. ए. सी. मोहन सिंह, शिक्षक, आर. ए. ए. कॉलेज, झरानीपुर

से रूपया (शब्दों में) दस हजार मात्र

की धनराशि बाबत R.C.M. No 16/2024-25 प्राप्त हुई।

रु० 10000/-

C.B. Item No. 7 2014

(क्षेत्रीय वनाधिकारी) पर  
ऑरिजी रेन्ज

वन विभाग दांडी परिधि (सर्किल) 567 खण्ड (डिवीजन) दांडी

वन अपराध प्राथमिक प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 1971/2 दिनांक 25-10-24 अधिक्षेत्र (रेंज)

क्र० व० प्र० बुक सं० 120 पेज नं० 5963  
R.C.No-1 24/2024-25

१-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ना माहूर

२-साक्षी का नाम पं० व जी पुणे-ह जी का वडा

३-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 25-10-24 मे डी उता माले के माते कुमानु डिपटी में उर गे की तड उरने मफ अने उर पूर रेवजे का पिनी गेड - 58 मीट (मात) मे 1-2 का अरफ माले गत लगी उर का अफने गुणुग मे 20 मी

४-मूल्य

५-चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध से विशेष कथन जाच जाई है

६-प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख माते रिपोर्ट 25-10-24 के उर अफने के मे रिपोर्ट उर मे डी उता अरफ के माते कुमानु डिपटी में उर गे की तड उर के माले के उरने का उर रेवजे पिनी मफ बुक रेवजे का पिनी गेड - 58 मीट (मात) मे 1-2 का अरफ माले गत लगी उर का अफने गुणुग मे 20 मी अरफ माले गत लगी उर का अफने गुणुग मे 20 मी रिपोर्ट: श्री मात जी डि पी का मे अरफ माले अफने गुणुग मे 20 मी

माते  
माले डिपटी  
क०  
दि 25-10-24

# वन विभाग, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०

568

उप प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग

पुस्तक सं०, बु. वृत्त मकरानीपुर

६४/७३

पृष्ठ सं० 73

C.B. Item No. 4 of 4 / 2025

दिनांक 05/4/25

श्री दीपक कुमार S.I. मुन्नालाल रेडवाला से उपरोक्त पुस्तक

से रूपया (शब्दों में) दस हजार 20 मात्र

की धनराशि बाबत प्र.सं. 24/2024-25 प्रति उत्तरीय वृत्त प्रशासक को

द्वारा प्राप्त हुई।

रु० 10,000

Res  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
भाँसी

वन विभाग उ.प्र. परिधि (सर्किल) कुशीन खण्ड (डिवीजन) डांभी

वन अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. 18/5124 दिनांक 18/12/24 अधिक्षेत्र (रिज) 1376  
कानून सं. 120 पेज नं. 5970

R.C.No-134/2024-25

१-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान विक्रमशुक्ला S/o सुरेशचन्द्रशुक्ला .60,  
गणेशवाजार डांभी उ.प्र. त इत्या।

२-साक्षी का नाम गणेश श्रीवास्तव (पुत्र) व पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव

३-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक गणेश दिनांक 18/12/24 को जांच प्रकरण नं. 600002400 97590 रि. 18/12/24 की जांच ल ड्युगार -

- 1. कनिका रंगीना 1 1.00m डांभी
  - 2. 8-मूल्य 2.30m, 2.20m रुखे रुखे 2.55 m
  - 3. 1.70m, 1.75m रुखे रुखे 2.40m
  - 4. 1.20m डांभी
  - 5. 0.95m, 1.20m, 1.00m डांभी
  - 6. 2.10m, .20m डांभी
- ५-चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) 2.00m, 1.00m

के सम्बन्ध से विशेष कथन

जांच ल ड्युगार -

६-प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख गणेश

निकेतन है कि (ICPS) कानून सं. 600002400 97590 रि. 18/12/24 की जांच प्रकरण नं. 1376 का जांच ल ड्युगार परिसर में गणेश श्रीवास्तव के द्वारा अपराध का अन्वेषण आदि कार्य लक्ष्य 2 वर्ष पूर्व कार्य करे थे, की जांच-गोळे पर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा गणेश श्रीवास्तव के द्वारा अनुसंधान सेत्रो का प्रीक्षण किया गया कि निम्नलिखित कार्य के गणेश श्रीवास्तव के द्वारा करे जाई है। शर्मा श्रीवास्तव एवं शर्मा श्रीवास्तव की गणेश श्रीवास्तव की गणेश श्रीवास्तव के द्वारा करे जाई है। शर्मा श्रीवास्तव के द्वारा करे जाई है। शर्मा श्रीवास्तव के द्वारा करे जाई है।

महेश

(गणेश श्रीवास्तव)



Forest Department Jhansi Circle Jhansi

Division Jhansi

Forest Offense First Information Report No. **R.C.No. 15/2024-25**Date **3.7.24**Range **Jhansi**Jhansi Forest Division Book No. **120** Page No. **5053**

1-Name, Father's Name and Place of Residence	Rajesh Singh, son of late Mohan Singh, village Baruasagar, district Jhansi
2-Name of Witness	Vimal Hariom E.P.
3-Full details and date of alleged offense	On 3.7.24, based on complaint no. 60000240102550, felling of trees was found inside Government Girls Polytechnic Jhansi. Tree species - Shisham (Dalbergia sissoo) 1. Tree No.10 - 0.25 m 2. Tree No. 5- 0.45 m 3. Tree No. 3- 0.70 m Total - 03
4-Value	-
5-Special statement regarding Challan and Investigation	Investigation is underway.
6-Details of Information (Report) and mention of evidence etc.	Sir, based on IGRS complaint no. 60000240102550 by Mr. Narendra Kushwaha regarding illegal felling in the Government Girls Polytechnic, a visit was made to the premises for inspection. Inside the premises, illegal felling of the said trees was found. Upon inquiry, it was learned that these trees were obstructing the construction of the building in the premises. During construction, the said trees were uprooted by a machine. Report: Submitted for your kind perusal and necessary action.

Applicant  
Manoj Shrivastava  
Forest Guard  
Jhansi Range

**Forest Department, Bundelkhand Circle, Uttar Pradesh**

Sub-Divisional Forest Officer  
Mauranipur

Jhansi Forest Division

Book No., Bundelkhand Circle

Page No. 49

Date 9-7-24

Mr. Rajesh Singh, son of Mohan Singh resident of Thana Barua Sagar  
District Jhansi

Amount from (in words) Ten Thousand Only

Amount regarding R.C. No. 15/2024-25 compensation amount deposited

**received.**

Forest Department Jhansi

Circle Jhansi

Division Jhansi

Forest Offence Section 4/10 of the Indian Forest Act, 1927

Report No. ....

Date 25.10.24 Range

J.V.P. Book No. **120**Page No. **5963**

R.C. No - 124/2024-25

1- Name, Father's Name and Place of Residence: Unknown

2- Name of Witness: Self and Shri Puspendra Sriwas

3- Full details and date of the alleged offence: 25.10.24 Illegally felled a standing Revja tree of girth 58 m. (measurement) category 1-2 along the unpaved road from kemasan ki pahadhi in front of Medical College to Kurguwan Ji, and took the wood into possession.

4- Value: 232/-

5- Special statements regarding Challan and Investigation: Investigation is ongoing.

6- Mention of report details and evidence etc.:

Sir, on 25.10.24, as per the instructions of senior officials, I visited the side of the unpaved road from kemasan ki pahadhi in front of Medical College to Kurguwan Ji, where a standing Revja tree of girth 58 m. (measurement) category 1-2 was found to be illegally felled. The Revja wood was removed and kept in the Commissioner Investigation Branch. The accused is being traced.

Report submitted for your kind consideration and necessary action.

Applicant

**Manoj Shrivastava****V.D.****Date 25.10.24**

**Forest Department, Bundelkhand Circle, Uttar Pradesh**  
**.....Forest Division**

Book No., Bundelkhand Circle 6403 Page No. 73

C.B. Item No. 4 of 4 / 2025 Date 5-4-25

Mr. Deepak Kumar S/o Munna lal Raikwar, Resident of Jyoti Nagar, Hasari,  
Jhansi, Thana Shipari.

from (in words) Ten thousand rupees only

the sum regarding R.C. No - 24 / 2024-25 regarding deposit of security  
amount

has been received.

Forest Department U.P. Circle Bundel Division Jhansi

Forest Offence Information (Report) No. Range Jhansi Date 18/5/24

Gyanvaidya Prerak Book No. 120 Page No. 5970

R.C. No - 34 / 2024-25

1-Name, Father's Name and Residence Vikas Gupta S/o Suresh Chandra Gupta, 60, Ganesh Bazar Jhansi U.P. and others.

2-Name of Witness Manoj Shrivastava (Self) and Pushpendra Shrivastava, Forest Guard

3-Full description and date of alleged offence Today, on 18/5/24, in the investigation of the case as per IGRS (Public Grievance Complaint No. 60000240097590 dated 18/5/24):-

S.No.	Species	Quantity	Girth	Length/Condition
1.	Kanita	1	1.00m	Dry standing
2.	Neem	3	2.30m, 2.20m, 2.55 m	Dry stumps
3.	Babool	3	1.70m, 1.75m, 2.10m	Green standing
4.	Gold Mohur	1	1.20m	Uprooted along with roots and lying on the roadside.
5.	Chilbil (Holoptelea integrifolia)	3	0.95m, 1.20m, 1.10m	Uprooted along with roots and lying on the roadside.
6.	Siris	4	2.10m, 2.0m, 2.0m, 1.80m	1 green standing, 2 dry standing, 1 uprooted and lying on the roadside.

5-Special statement regarding Charge Sheet and Investigation  
Investigation is in progress.

6-Mention of details of Information (Report) and Evidence etc. Sir,

It is submitted that during the investigation of IGRS Public Grievance Complaint No. 60000240097590 dated 18/5/24, the revenue areas were

inspected along with Shri Pushpendra Rathore, Forest Guard In-charge, regarding the beautification and construction work of Apex Garden under the Smart City project in the Narayan Bagh Government Garden premises carried out approximately 2 years ago. It was found that damage was caused to healthy trees due to the pace of construction work. The measurement and enumeration of the damaged and dry trees were recorded as stated above. An offence has been committed by the accused under Sections 4/10 of the Tree Protection Act, 1976. The said wood has been given into the custody of Shri Pushpendra Rathore, Forest Guard In-charge. Therefore, this report is submitted for information.

Yours faithfully

**Forest Department, Bundelkhand Circle, U.P.**  
**Sub-Divisional Forest Officer**

Mauranipur ..... Jhansi Forest Division

Serial No., Bundelkhand Circle **C.B.** Page No. ....

**Item No 2... of 12 / 2024**

**4403**

Date 21-12-24

**Rupees (in words)** Vikas Gupta son of Suresh Chandra Gupta resident of Ganesh Bazar Jhansi

Amount (in words) Seventy thousand only

**Amount regarding** R.C No 34/2024-25 against R.C. Pradyuman Singh  
M.R. Amount received by cash Received.

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग झांसी

पत्रांक- 1282 / 10-1 (को0के0) झांसी, दिनांक, अक्टूबर, 16, 2025

नरेन्द्र कुशवाहा,  
पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी।

- विषय- माननीय नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन में, झांसी महानगर में कंक्रीटीकरण से प्रभावित/नष्ट हुए वृक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
- संदर्भ- मा0 एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 18.09.2025 (ई.ए.सं. 11/2025, ओ.ए.स. 1075/2024 में)।

अवगत करना है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुसार :-

"9. We also the applicant to submit full details of the concretised tress to the DFO, Jhansi, one of the members of the Joint Committee, in respect of which the action in terms of the order of the Tribunal has not been taken or incompleated action has been take."

उक्त के क्रम में आपके द्वारा प्रेषित जानकारी आदेशानुसार अपूर्ण है। आपके द्वारा उपलब्ध की गयी सूचना में झांसी माहनगर के कंक्रीटीकरण से प्रभावित वृक्षों के क्षेत्रों का विवरण, निम्न क्षेत्रों और उनसे निकलने वाली सड़कों पर लगे वृक्षों का विवरण, न प्रदान करते हुये उनसे सम्बन्धित वार्ड/क्षेत्र का विवरण प्रदान किया गया है।

आदेशानुसार झांसी महानगर के कंक्रीटीकरण से प्रभावित वृक्षों के सम्पूर्ण विवरण के अन्तर्गत जी0पी0एस0 रीडिंग/जियो टैग, फोटोग्राफ्स, प्रजाति, आदि की जानकारी चाही गयी है जो आपके द्वारा प्रेषित की गयी सूचना में अप्राप्त है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 18.09.2025 का संज्ञान लेते हुए वृक्षों के कंक्रीटीकरण से सम्बन्धित समस्त 60 वार्डों के 971 स्थलों पर आच्छादित वृक्षों के फोटोग्राफ्स, जियो कोर्डिनेट्स एवं प्रजातिवार संपूर्ण विवरण सात दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 1282 /सम दिनांक।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, झांसी वन वृत्त को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव झांसी विकास प्राधिकरण, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- नगर आयुक्त, नगर निगम, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

म.स.  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी



DFO JHANSI &lt;dfojhansi@gmail.com&gt;

**Hon. NGT case OA 1075/2024 के सम्बन्ध में |**

2 messages

DFO Jhansi &lt;dfojhansi@gmail.com&gt;

Mon, Nov 10, 2025 at 2:26 PM

To: "narendrakumarjhansi82@gmail.com" &lt;narendrakumarjhansi82@gmail.com&gt;

Cc: nagar aayukt nagar nigam &lt;nagarayukta@jnnjhansi.com&gt;, nagar aayukt nagar nigam &lt;nagarayukta@gmail.com&gt;

श्रीमान,

अवगत कराना है की इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1282/10-1(को० के०), दिनांक-16.10.2025 के माध्यम से आपसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन में, झांसी महानगर में कंक्रीटीकरण से प्रभावित / नष्ट हुए वृक्षों का विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था, जो कि वर्तमान में आपके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विवरण आख्या अप्राप्त है |

अतः आपसे आग्रह है कि संलग्नित पत्र के अनुक्रम में विवरण आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें |

**DFO JHANSI****0510-2370037****121 CIVIL LINE JHANSI** letter regarding hon NGT case OA 1075 (1).pdf  
1679K

Mail Delivery Subsystem &lt;mailer-daemon@googlemail.com&gt;

Mon, Nov 10, 2025 at 2:26 PM

To: dfojhansi@gmail.com

**Address not found**

Your message wasn't delivered to **nagarayukta@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

**LEARN MORE**

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to [https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser\\_a640c23a62f3a-b72e1793d46sor156057866b.2](https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a640c23a62f3a-b72e1793d46sor156057866b.2) - gsmtpt

Final-Recipient: rfc822; nagarayukta@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

550 5.1.1 [https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser\\_a640c23a62f3a-b72e1793d46sor156057866b.2 - gsmt](https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a640c23a62f3a-b72e1793d46sor156057866b.2-gsmtp)  
Last-Attempt-Date: Mon, 10 Nov 2025 00:56:25 -0800 (PST)

---

 noname  
3K

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झौंसी वन प्रभाग, झाँसी

हरित झाँसी।



स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या

113 / पी0ए0 / अ0न0आ0 / न0नि0 / 2025-26

दिनांक: 01/12/2025

श्री नरेन्द्र कुशवाहा  
निवासी- पिछोर थाना नबावाद, झाँसी  
मो0नं0 9452041529

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन **Execution Application No. 11/2025 In Original Application No. 1075/2024** नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आपत्ति दिनांक 15.09.2025 के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन **Execution Application No. 11/2025 In Original Application No. 1075/2024** नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आपके द्वारा दाखिल की गई आपत्ति दिनांक 15.09.2025 में पृष्ठ संख्या- 120 से 123 तक उल्लेखित दर्शाये गये वृक्षों का डी-कॉक्रीटाईजेशन की कार्यवाही आख्या दाखिल करने के पूर्व ही की जा चुकी है एवं उक्त पृष्ठों पर उल्लेखित बचे हुये वृक्षों की मौके पर डी-कॉक्रीटाईजेशन किया जा चुका है।

यदि उक्त उल्लेखित पृष्ठांक पर दर्शाये गये पेड़ों के डी-कॉक्रीटाईजेशन सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस में अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा यह समक्षा जायेगा कि आपकी ओर से उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही से आप सन्तुष्ट है।

पृष्ठांकन दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

नगर आयुक्त महोदय, को सादर सचनार्थ प्रेषित।

11/12/24

अपर नगर-आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

अपर नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

सहायक नगर आयुक्त  
नगर निगम, झाँसी

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम, झाँसी



Subject: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन Execution Application No. 11/2025 In Original Application No. 1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आपत्ति दिनांक 15.09.2025 के सम्बन्ध में।

From: <nagarayukta@jnnjhansi.com>  
 To: <narendrakumarjhansi82@gmail.com>  
 Date: 2025-12-01 13:26

- New Doc 12-01-2025 13.24.pdf (~1.6 MB)

Sir,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन Execution Application No. 11/2025 In Original Application No. 1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आपत्ति दिनांक 15.09.2025 के सम्बन्ध में।

Regards

Jhansi Nagar Nigam

0510-2332097

For Citizen Helpline: 0510-3-500-700

[www.jnnjhansi.com](http://www.jnnjhansi.com)

Our Social Media

<https://www.facebook.com/CleanJhansi>

<https://x.com/CleanJhansi>

<https://www.instagram.com/cleanjhansi>



[youtube.com/@CleanJhansi](https://www.youtube.com/@CleanJhansi)

<https://www.linkedin.com/in/cleanjhansi/>


पर्यावरण बचाने में सहयोग करें। यदि आवश्यक न हो तो इस पृष्ठ का प्रिंट न करें।

  
 सहायक नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झाँसी

  
 अपर नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झाँसी



  
 सहायक नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झांसी नगर निगम, झांसी



सहायक नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झांसी

अपर नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झांसी



  
 अपर नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झाँसी

  
 अपर नगर आयुक्त  
 नगर निगम, झाँसी